[2019] 6 एस. सी. आर 701

दीपाकभाई जग्दीशचंद्र पटेल

वी.

गुजरात राज्य और अन्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 714)

अप्रैल 24,2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482-शिकायत और उसके द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका

सत्र न्यायालय ने एस. एस. के तहत उसे अपराध से मुक्त करने की उसकी प्रार्थना को खारिज कर दिया। 489 बी और 489 सी आई. पी. सी.-अभियोजन मामला वह था जिसमें अभियुक्त नं. 1 3 से सार्वजनिक स्थान पर नकली विदेशी मुद्रा नोट बेच रहे थे-जब वे पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोपी नं. 4 - अपीलार्थी-अपीलार्थी

आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कुछ सबूत थे-उच्च न्यायालय ने माना कि मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उस स्तर पर शिकायत में जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान की विश्वसनीयता का सम्मान और इस पर केवल मुकदमे में ही विचार किया जा सकता है और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सह-अभियुक्त के बयानों में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दिखाई देती है।

अपराध में अपीलार्थी और एस के तहत हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। 482 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि उपलब्ध सामग्रियों के साथ, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए एक मामला बनाया जाता है-तत्काल मामले में, सह-अभियुक्त फरार थे-राज्य ने इस तथ्य पर गंभीरता से विवाद नहीं किया कि नकली नोटों की अपीलकर्ता के निवास से कोई बरामदगी नहीं हुई थी और ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर एक मजबूत संदेह भी पैदा किया जा सके-कानून के आदेश में अपीलकर्ता को कार्रवाई से मुक्त करने की आवश्यकता है-इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तैयार करने वाले सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अपीलार्थी निर्वहन का हकदार है-दंड संहिता, 1860

–

एसएस। 489 बी और 489 सी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 161 , 162

पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान की अस्वीकृति-आयोजितः एस के तहत बार। 162 समय के दो बिंदुओं के बीच एक पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान के संबंध में कार्य करता है, अर्थात। , शुरुआत से

उसी की समाप्ति तक जांच-ऐसे मामले में जहां बयान में स्वीकारोक्ति नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति है, जो अन्यथा प्रासंगिक है और जो जांच से पहले किया जाता है।

प्रारंभ, स्वीकार्य हो सकता है प्रवेश के लिए क्या राशि है प्रवेश के निर्माता या उसके प्रतिनिधि के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है

ब्याज में-जिसमें प्रवेश पाया जाना है एस. 17 साक्ष्य अधिनियम-एक प्रवेश होने के नाते, यह साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य हो सकता है बशर्ते कि यह आवश्यकताओं को पूरा करता हो

एस में परिभाषित प्रवेश। 17 साक्ष्य अधिनियम का-हालाँकि, भले ही

यह एक स्वीकारोक्ति है, यदि यह जाँच के दौरान किया जाता है

उसमें-एस के तहत दिया गया बयान। 161 , भले ही प्रासंगिक हो, क्योंकि इसमें एक प्रवेश शामिल है, स्वीकार्य नहीं होगा, हालांकि एक प्रवेश गिर रहा है एक स्वीकारोक्ति की कमी जो अन्यथा की जा सकती है, ठोस सबूत बन सकती है-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - एस. 17.

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 25 पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान

- आयोजित की स्वीकार्यताः साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 प्रस्तुत करती है

एक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य-यह घोषित करता है

तथ्य यह है कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई भी स्वीकारोक्ति किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगी-जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है

प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक आरोपी के रूप में, वह खड़ा होगा

अभियुक्त व्यक्ति के जूते-एक व्यक्ति जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त के जूते में खड़ा है, हो सकता है

एस के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की गई। 161 Cr.PC.-एक व्यक्ति

जिनका नाम एफ़. आई. आर. में है, और इसलिए, अभियुक्त की नज़र में

कानून, वास्तव में पूछताछ की जा सकती है और बयान पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाता है-एक स्वीकारोक्ति, जो एक पुलिस अधिकारी को दी जाती है, एस को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार्य होगी। 25 साक्ष्य अधिनियम

एक स्वीकारोक्ति, जिसे एस के तहत दूषित किया जाता है। 24 साक्ष्य अधिनियम की धारा भी अस्वीकार्य होगी-भले ही किसी बयान में स्वीकारोक्ति हो, दीपकभाई जग्दीशचंद्र पटेल बनाम।

गुजरात राज्य और अन्य

कथन एस के तहत एक है। 161 , यह तुरंत एस के तहत बार को आकर्षित करेगा। 162 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 161 और 162।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

2.1 साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 एक पुलिस अधिकारी के सामने किए गए स्वीकारोक्ति को अस्वीकार्य बनाती है। यह वास्तव में घोषणा करता है कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी इकबालिया बयान किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगा। एक स्वीकारोक्ति, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत दूषित किया जाता है, भी होगा अस्वीकार्य। भले ही किसी बयान में स्वीकार किया गया हो, बयान धारा 161 के तहत एक है, यह तुरंत Cr.PC की धारा 162 के तहत प्रतिबंध को आकर्षित करेगा। धारा 162 Cr.PC के तहत प्रतिबंध, निस्संदेह, एक पुलिस अधिकारी को दो समय के बीच दिए गए बयान के संबंध में काम करता है, अर्थात। , जाँच की शुरुआत से लेकर उसकी समाप्ति तक। ऐसे मामले में जहां बयान में स्वीकारोक्ति नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति है, जो अन्यथा प्रासंगिक है और जो बयान से पहले दिया गया है।

जाँच शुरू होती है, स्वीकार्य हो सकती है। कितना होता है? प्रवेश का उपयोग प्रवेश के निर्माता या ब्याज में उसके प्रतिनिधि के खिलाफ किया जा सकता है। एक प्रवेश होने के नाते, यह साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य हो सकता है बशर्ते कि यह अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित प्रवेश की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

साक्ष्य अधिनियम। हालाँकि, भले ही यह एक स्वीकारोक्ति हो, अगर यह एक पुलिस अधिकारी को Cr.PC के तहत जांच के दौरान किया जाता है, तो यह Cr.PC की धारा 162 के तहत स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि यह स्पष्ट रूप से [ID1> की धारा 161 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, सिवाय उस उद्देश्य के जो [2019] 6 एस. सी. आर. है।

उसमें उल्लेख किया गया है। धारा 161 के तहत दिया गया बयान, भले ही प्रासंगिक हो, क्योंकि इसमें एक स्वीकारोक्ति शामिल है, स्वीकार्य नहीं होगा, हालांकि एक स्वीकारोक्ति से कम होने वाला प्रवेश जो अन्यथा किया जा सकता है, ठोस सबूत बन सकता है। [पैरा 25,40,41,44,46] [719-ए-बी; 727-एफ-एच; 728-ए-बी; 729-जी-एच; 730-जी-एच; 731-ए-बी]

बॉम्बे राज्य बनाम। काठी कालू ओघड़ ए. आई. आर. 1961 एस. सी.

1808 : [1962] एससीआर 10; पलविंदर कौर बनाम। की स्थिति

पंजाब आकाशवाणी 1952 एस. सी. 354: [1952] एस. सी. आर 94; एम. पी.

शर्मा और 4 अन्य बनाम। सतीश चंद्र, जि.

मजिस्ट्रेट, दिल्ली और 4 अन्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 300

भरत सिंह और अन्य बनाम। एमएस. भागीरथी एयर 1966

एससी 405: [1966] एस. सी. आर. 606; पाकला नारायण स्वामी बनाम।

सम्राट (1939) पीसी 47; महाबीर मंडल और अन्य वी. बिहार राज्य ए. आई. आर. 1972 1331: [1972] 3 एस. सी. आर. 239

पर भरोसा किया।

-

2.2 10.04.1996 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा जिस बयान पर भरोसा किया गया है वह एक पुलिस अधिकारी को दिया गया दिनांकित 11.04.1996 है।

और अपीलार्थी को 11.04.1996 पर गिरफ्तार किया गया था। यह स्पष्ट रूप से जांच के दौरान है। भले ही इसमें प्रवेश हों

धारा 162 के आधार पर, ऐसे प्रवेश स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं। यदि अपीलार्थी द्वारा 11.04.1996 पर दिया गया कथन है

अस्वीकार्य, तब, यह तय करने में विचार करने के लिए केवल सह अभियुक्त का बयान उपलब्ध होगा कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तैयार किया जाना है या नहीं। इस आधार पर कार्यवाही करना कि यह एक सह-अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति है और अभी भी आगे बढ़ रहा है कि अभियुक्तों पर एक संयुक्त मुकदमा चल रहा है और उन पर समान अपराधों का आरोप है (इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि अन्य अभियुक्त फरार हैं और अपीलार्थी के खिलाफ स्वयं ही कार्रवाई की जाती प्रतीत होती है) और यह पाया गया कि अपीलार्थी के आवास से नकली नोटों की कोई बरामदगी नहीं हुई है और ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं है जिसके आधार पर एक मजबूत संदेह भी हो।

उत्तेजित किया जा सकता है। कानून के अधिदेश में अपीलार्थी को उसके खिलाफ कार्यवाही से मुक्त करने की आवश्यकता है। [पारस 47,48,50] [731-बी-डी; 732-डी-ई]

सुरेश बुधर्मल कलानी उपनाम पप्पु कलानी बनाम। राज्य

महाराष्ट्र का (1998) 7 एस. सी. सी. 337 [1998] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 608; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम। वीसी.

दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम। गुजरात राज्य और अन्य

शुक्ला और अन्य एआईआर 1998 एससी 1406: [1999] 2 एससीआर 431 ; वीरा इब्राहिम बनाम। महाराष्ट्र राज्य आकाशवाणी 1976 एससी 1167 [1976] 3 एससीआर 672; नंदिनी सत्पथी बनाम। पीएल. दानी और एक अन्य ए. आई. आर 1978 एस. सी. 1025 [1978] 3 एस. सी. आर. 608; हरिचरण कुर्मी बनाम। बिहार राज्य आकाशवाणी 1964 एससी 1184: [1964] एस. सी. आर. 623-पर निर्भर।

बुर सिंह बनाम। द क्राउन (1998) 7 एससीसी 337 (1930) आईएलआर 11 लैश 555; बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1981 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 47; उमाशंकर बनाम। की स्थिति छत्तीसगढ़ (2001) 9 एससीसी 642: [2001] 3 पूरक। एससीआर 646 ; बिहार राज्य बनाम। रमेश सिंह ए. आई. आर. 1977 एससी 2018 [1978] 1 एस. सी. आर. 257; भारत संघ बनाम। प्रफुल्ल कुमार सामल और एक अन्य आकाशवाणी 1979 एससी 366: [1979] 2 एससीआर 229; कश्मीरा सिंह बनाम। की स्थिति मध्य प्रदेश ए. आई. आर 1952 एस. सी 159: 1952 एससीआर 526

संदर्भित किया गया।

-

एम. मोनीर द्वारा साक्ष्य का कानून, 17 वां संस्करण-संदर्भित को।

केस लॉ रेफरेन्स

[1998] 1 पूरक। एससीआर 608

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

(1930) आईएलआर 11 लैश 555

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

1981 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 47

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

[2001] 3 पूरक। एससीआर 646

संदर्भित किया गया है

पैरा

8

[1978] 1 एससीआर 257

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[1979] 2 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

संदर्भित किया गया है

1952 एससीआर 526

पैरा

22

(1939) पीसी 47

उस पर भरोसा करें

पैरा

29

[1952] एससीआर 94

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

[1976] 3 एससीआर 672

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

उस पर भरोसा करें

पैरा

31

ए. आई. आर 1954 एस. सी. 300[1962] एससीआर 10

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

[1978] 3 एससीआर 608

उस पर भरोसा करें

पैरा

35 [2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1972] 3 एस. सी. आर. 239

उस पर भरोसा करें

पै

रा 38

[1999] 2 एससीआर 431

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

उस पर भरोसा करें

[1966] एससीआर 606

पै

रा 45

[1964] एससीआर 623

उस पर भरोसा करें

पै

रा 49

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का सं. 714।

उच्च न्यायालय के 05.05.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के विशेष आपराधिक आवेदन सं. 1230 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार द्वारा।

नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह

गोहिल, हिमांशु चौबे, सुश्री तन्वी भटनागर, कार्तिक प्रसाद, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री विशाखा, सुश्री पूजा

सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा यह अपील निर्देशित है।

अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर 2009 के विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 1230 को खारिज करते हुए (इसके बाद संक्षेप में 'Cr.PC' के रूप में संदर्भित)।

2. धारा 482 Cr.PC के तहत याचिका दायर की गई थी।

शिकायत और सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने अपीलार्थी के धाराओं के तहत अपराधों से उसे मुक्त करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया 489 भारतीय दंड संहिता, 1860 का बी और 489 सी (इसके बाद संक्षेप में 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित)।

13.00 के बारे में, हमें वरिष्ठ अधिकारी से जानकारी मिली एटीएस ने कहा कि मुंबई के महामद रफीक अब्दुल हामिद कडगे और

अहमदाबाद सहलाम के सलीम महबूब शेख, दोनों बिक रहे हैं। सड़क पर मूल के रूप में अरब देश के नकली नोट

नेहरू ब्रिज के किनारे पर स्थित कुलीन भवन की ओर जाते हुए, दीपाकभाई जग्दीशचंद्र पटेल बनाम।

आश्रम रोड, अहमदाबाद उचित दर पर और इसलिए, जबकि इस तरह के कानूनी निर्देश प्राप्त करने के बाद दो पंच व्यक्तियों को एटीएस के कार्यालय में बुलाया गया था और उन्हें इस बारे में सूचित किया गया था

जानकारी दी और उन्होंने पंचों के रूप में बने रहने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की, इसलिए लगभग 14.00 से 14.15 पर पहला भाग पंचनामा पूरा करने के बाद, मैं खुद, पंच और पीएसआई श्री एन. बी. जडेजा, श्री बी. आर. करावद्रा, श्री पी. वी. राठौड़, श्री एन. वी. कापिरिया, श्री के. के. देसाई और पुलिस कांस्टेबल श्री रमेश कुमार सेवादास लश्कर, भागवतसिंह मदरसिंह और पुलिस सिपाही अमिरखान रसूलखान और दशरथसिंह भागुभा आदि आश्रम रोड पर नटराज सिनेमा के सामने सरकारी और निजी वाहनों में पहुंचे, वहां अपने वाहन रोककर पैदल चलते हुए नोबल बिल्डिंग के पास और पेट्रोल पंप के पास सड़क पर पहुंचे और पाया कि तीन लोग सड़क के पास खड़े थे और कुछ लेन-देन कर रहे थे और उनसे बात करते हुए हमने उन्हें उस स्थान पर रोक दिया जहां हमने अपना परिचय पुलिस और पंचों के रूप में दिया और उन्हें व्यक्तिगत खोज के बारे में सूचित किया और मैंने आरोपी नं. 1 और अपना नाम और पता पूछते हुए उन्होंने सचवारी में रहने वाले महामद रफीक अब्दुल हामिद कडगे के रूप में अपना नाम बताया।

Rs.500/- मूल्यवर्ग पाया गया और पुलिस कांस्टेबल श्री भागवतसिंह मदरसिंह बकल संख्या 8927 ने आरोपी नं. 3 और अपना नाम और पता पूछते हुए, उसने कहा कि उसका नाम उस्मानगनी महामदभाई मालेक है जो मुसामियानी चली, रसूलाबाद शाहलम, अहमदाबाद में रहता है और उसके हाथ से, 2 नंबर हैं। Rs.500/- मूल्यवर्ग के सऊदी अरब के रियाल मुद्रा नोट पाए गए और कुल 88 नोट पाए गए। पंचों के सामने एक-एक करके उनसे ऐसे नोटों के बारे में पूछते हुए पाया गया कि नहीं। 1 उन्होंने 15 दिनों से पहले मुंबई से ऐसे नोट लिए थे और कहा था कि उन्होंने रहने वाले अपने दोस्त जगदीशचंद्र पटेल से बात की थी। डी-2 आसियाना फ्लैट, नवा वडाज, अहमदाबाद में उन्हें इन नकली रियाल मुद्रा को उचित मूल्य के साथ मूल के रूप में बेचने के लिए और आज, [2019] 6 एस. सी. आर. के बाद।

अभियुक्त सं. द्वारा दीपक के घर से ऐसा नोट लेना। 1 ; इसे आरोपी नं. 2 और 3 और ऐसे नोटों का पंचनामा तैयार करने के बाद, इसे अलग से पैक करके जब्त कर लिया। पैकेट और मुहर लगाना। उनमें से एक या दो के पास से मिले भारतीय मुद्रा नोटों को पंचनामे के माध्यम से वापस कर दिया गया था और वह पंचनामा लगभग (अवैध) पूरा हो गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त अभियुक्त नं. 1 महामद रफीक अब्दुल हामिद कागडे, सावरी हगड़ी चॉल, गोलनजी रोड, मुंबई में रहते हैं। 15 , अभियुक्त नं. 2 सालिमभाई महमूदभाई शैखा, शाहालम दरवाजा, रसूलाबाद सोसायटी, अहमदाबाद के अंदर रहते हैं।

अभियुक्त नं. 3 उस्मानगनी महामदभाई मालेक रहते हैं

शाहालम, अहमदाबाद और आरोपी नं। 4 बी-2 आशियाना फ्लैट, नवा वडाज, अहमदाबाद में रहने वाले दीपक जगदीश पटेल ने एक-दूसरे के साथ मिलकर नकली सऊदी अरेबिया मुद्रा दिखाई।

मूल के रूप में Rs.500/- मूल्यवर्ग का रियाल और ऐसे नकली नोटों को मूल के रूप में बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना।

उचित मूल्य के साथ, अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 489 बी, सी के तहत दंडनीय अपराध किया है और इन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ यह मेरी कानूनी शिकायत है। पंच, पुलिसकर्मी और जाँच में जो कुछ भी सामने आएगा, वे मेरे गवाह हैं और आरोपी नं. 1,2,3 आज गिरफ्तार किए गए हैं, यानी

10.04.1996 17.00 बजे "।

4. जाँच के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गयाः

सत्र न्यायाधीशों से पहले की प्रक्रियाएँ

यद्यपि अपीलार्थी ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष तर्क दिया कि सह-अभियुक्त के बयान के अलावा, अभियुक्त/अपीलार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है और केवल इसके आधार पर

सह-अभियुक्त द्वारा बयान, अपीलार्थी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जा सका, और फिर भी आगे, यह तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त द्वारा दिया गया बयान अभियुक्त को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 द्वारा वर्जित किया गया था, हालाँकि, सत्र न्यायाधीश द्वारा यह पाया गया कि पूरी वसूली

पंचों की उपस्थिति में प्रक्रिया बनाई गई और तदनुसार, अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि उसके खिलाफ कुछ सबूत थे, और सबूत दर्ज किए बिना, इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं था कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

दीपाकभाई जग्दीशचंद्र पटेल बनाम। गुजरात राज्य और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

उच्च न्यायालय से पहले की प्रक्रियाएँ

उच्च न्यायालय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का उल्लेख करने के बाद, इस याचिका को खारिज कर दिया कि

अपीलार्थी के विरुद्ध मामला जारी नहीं रखा जाए क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एपीपी के कथन और तर्क, सह अभियुक्त के बयान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे जिसमें अपीलार्थी की संलिप्तता विशेष रूप से अपीलार्थी के आवास पर नकली मुद्रा नोटों के पाए जाने के बारे में पाई गई थी। न्यायालय ने अपराध स्थल, अर्थात अपीलार्थी के निवास स्थान से जाली मुद्रा नोटों की जब्ती का संदर्भ दिया। यह आगे पाया गया है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

शिकायत में अधिकारी द्वारा दिए गए बयान की विश्वसनीयता के संबंध में यह चरण। इसे केवल मुकदमे में ही माना जा सकता है। गवाहों की उपस्थिति में जांच अधिकारी द्वारा मुद्रा नोट जब्त किए गए थे, और इसलिए, उनके बयानों पर निचली अदालत द्वारा भी विचार किया जाएगा, जबकि संबंधित अदालत द्वारा उनकी जांच की जाएगी। जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सह-अभियुक्त के बयान प्रथम दृष्टया अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता को दर्शाते हैं। अपीलार्थी को कथित अपराधों में शामिल करने के लिए न केवल अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, बल्कि अन्य साक्ष्य भी प्रथम दृष्टया अपीलार्थी की ओर इशारा करते हैं। यह पाया गया कि Cr.PC की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनाया गया था।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नकुल दीवान और विद्वान वकील सुश्री हेमंतिका वाही को सुना है। उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होना।

6. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस बात पर जोर दिया कि

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि नकली मुद्रा की वसूली अपीलार्थी के निवास से की गई थी। यह बताया गया कि नकली मुद्रा अपीलार्थी के आवास से नहीं बल्कि एक सार्वजनिक सड़क के पास से बरामद की गई थी। इसलिए, अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का आधार मौजूद नहीं है। दूसरा, यह तर्क दिया गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जब सह-अभियुक्त के बयान के अलावा कोई सामग्री नहीं है। उच्च न्यायालय को Cr.PC की धारा 482 के तहत उपलब्ध अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और आरोपमुक्त करने के लिए याचिका को अनुमति देनी चाहिए थी। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सह-अभियुक्त फरार थे। उन्होंने सुरेश बुधर्मल [2019] 6 एस. सी. आर. मामले में इस अदालत के फैसले से समर्थन मांगा।

नि एलियास पप्पु कलानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य '। उसने हमें खींचा है

पैराग्राफ 6 और 7, जो इस प्रकार हैंः

" 6. इस प्रकार हम डॉ. बंसल और जयवंत सूर्यराव द्वारा की गई स्वीकारोक्ति की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। धारा 30 के तहत

साक्ष्य अधिनियम, 1872, एक अभियुक्त का स्वीकारोक्ति एक सह-अभियुक्त के खिलाफ प्रासंगिक और स्वीकार्य है यदि दोनों संयुक्त रूप से मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

एक ही अपराध। चूंकि, डॉ. बंसल ने माना है कि

मामले से बरी कर दिया गया और कलानी के साथ मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके कबूलनामे का उपयोग कलानी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। विवादित आदेश

यह दर्शाता है कि नामित न्यायालय उपरोक्त के बारे में पूरी तरह से अवगत था

कानूनी स्थिति लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से, इसने फिर भी इस आधार पर स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने का फैसला किया कि अभियोजन पक्ष किसी भी तरह से डॉ. बंसल से गवाह के रूप में पूछताछ करने से वंचित नहीं था उसके कबूलनामे में प्रकट तथ्यों को स्थापित करने के लिए मुकदमे में।

यह फिर से नामित न्यायालय का एक विकृत दृष्टिकोण था

शुल्क तय करने के प्रश्न से निपटने के दौरान। उस स्तर पर, अदालत को अपना ध्यान केवल जांच के दौरान एकत्र की गई उन सामग्रियों तक सीमित रखने की आवश्यकता होती है जिन्हें कानूनी रूप से साक्ष्य में अनुवादित किया जा सकता है और न कि आगे के साक्ष्य (उन सामग्रियों का खंडन) पर कि अभियोजन पक्ष मुकदमे में पेश कर सकता है जो शुरू होगा।

आरोप तय होने और आरोपी के इनकार करने के बाद ही

शुल्क लेते हैं। इसलिए नामित न्यायालय ने डॉ. बंसल के इकबालिया बयान पर विचार करना बिल्कुल भी उचित नहीं माना।

कलानी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए। 7. जहां तक जयवंत सूर्यराव के कबूलनामे का संबंध है, उसे (यदि स्वैच्छिक और सच है) निस्संदेह साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत कलानी के खिलाफ भी दर्ज किया जा सकता है, लेकिन फिर सवाल यह हैः बाद वाले के खिलाफ इसका प्रमाणिक मूल्य क्या होगा? इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर इस न्यायालय द्वारा कश्मीरा सिंह बनाम में दिया गया था। एम. पी. राज्य [ए. आई. आर 1952 एस. सी. 159:

1952 एस. सी. आर. 526] निम्नलिखित शब्दों के साथः

" इस तरह के मामले से संपर्क करने का उचित तरीका, सबसे पहले, अभियुक्त के खिलाफ सबूत को मार्शल करना है। स्वीकारोक्ति पूरी तरह से विचार से और देखें

कि क्या, यदि यह माना जाता है, तो एक दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से उस पर आधारित हो सकती है। यदि यह स्वीकारोक्ति से स्वतंत्र रूप से विश्वास करने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से

ख) 7 एस. सी. सी. 337 दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम। गुजरात राज्य और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

स्वीकारोक्ति को सहायता के लिए बुलाना आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां न्यायाधीश अन्य साक्ष्य पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही यह माना जाए कि यह दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश

स्वीकारोक्ति की सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं और इसका उपयोग अन्य साक्ष्य को आश्वासन देने के लिए कर सकते हैं और इस प्रकार खुद को विश्वास करने में मजबूत कर सकते हैं कि स्वीकारोक्ति की सहायता के बिना वह क्या करने के लिए तैयार नहीं होगा।

स्वीकार करें।

इस प्रकार व्यक्त किए गए विचार का इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है। उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में देखा जाए तो सूर्यराव की स्वीकारोक्ति को कलानी के खिलाफ आरोप तय करने में सहायता के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ऐसा करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में "।

7. यह अपीलार्थी का आगे का मामला है कि आई. पी. सी. की धारा 489 बी और 489 सी के तत्व स्थापित नहीं किए गए हैं। धारा 489 सी के संबंध में, उन्होंने बुर सिंह बनाम में लाहौर उच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन मांगा। द क्राउन 2. और भी आगे, उन्होंने कुछ समर्थन माँगा

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से, अर्थात। , बचन सिंह बनाम में न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी (जैसा कि उनका प्रभुत्त्व तब था)। पंजाब राज्य 3. न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 10. जोगिंदर कौर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, अभियोजन पक्ष को न केवल यह साबित करना है कि उसके पास नकली नोट, प्रदर्शनी पी. 1 था, यह सुनिश्चित करना है या उस पर विश्वास करने का कारण है, बल्कि उन परिस्थितियों को भी साबित करना है जो स्पष्ट रूप से, निर्विवाद रूप से और अप्रतिरोध्य रूप से जनता पर नोटों का उपयोग करने के उसके इरादे की ओर ले जाती हैं जैसा कि बुर सिंह बनाम में कहा गया है। द क्राउन, (1930) आई. एल. आर. 11 लाह 555: (1931) 32 क्रि एल. जे. 351)। यह आगे माना गया है कि इस तरह के इरादे को एक संपार्श्विक परिस्थिति से साबित किया जा सकता है कि उसने पहले ऐसे नोटों को बंद कर दिया था, या कि वह इस तरह के नोटों में थी। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे नोटों का कब्जा, कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका कब्जा अकथनीय था। जो तथ्य मिले हैं वे हैं -

कि उसके व्यक्ति पर केवल एक ही लिखित नोट था, कि वह एक अनपढ़ महिला थी और वह कि कोई भी श्री के रूप में। दर्शन कुमार

अहलूवालिया, पी. डब्ल्यू. 2, हमें विश्वास दिलाएंगे कि इसे एक वास्तविक नोट के रूप में मानने के लिए गुमराह किया जा सकता है। उसने कुंदन लाल, पीडब्लू 2 को नोट दिया और उसने उसे बताया कि यह एक वास्तविक नोट नहीं था और उसका विश्वास था इसकी पुष्टि तब हुई जब उन्होंने इसे दूसरों को भी दिखाया। इसकी कोई जगह नहीं है।

2 (1930) आईएलआर 11 लाह 555 [1929 का आपराधिक संशोधन संख्या 1527] 3 1981 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 47 [2019] 6 एस. सी. आर.

यह दावा किया गया कि नोट कभी भी उसे वापस कर दिया गया था और पूरी तरह से अच्छी तरह से जानने के बाद या यह मानने का कारण होने के कारण कि यह नकली के लिए जाली है, उसने फिर भी इसे बंद करने का एक और प्रयास किया। इस प्रकार केवल कुंदन लाल, पीडब्लू को इस तरह का नोट देना, जब तक कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सकता कि यह बेईमान इरादे से किया गया था ताकि उसे गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया जा सके, उसके कार्य को भारतीय पैनाल संहिता की धारा 420/511 के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, या भारतीय दंड संहिता की धारा 489 बी या 489-सी की शरारत के दायरे में नहीं लाया जाएगा। यह निष्कर्ष निकालने की मांग की गई कि उन्हें पता होगा या यह विश्वास करने का कारण होगा कि नोट, प्रदर्शनी पी. आई., नकली है क्योंकि उनके साथ उनके पति के पास इसी तरह के नोट पाए गए थे, जो पूरी तरह से गलत है क्योंकि उनके पास कोई सामान्य इरादा नहीं है और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से आरोप नहीं लगाया गया है। जोगिंदर कौर के व्यक्तिगत कार्य के लिए उन्हें उपरोक्त नामित अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

(क) अपने कब्जे के समय वह जानता था कि नोट जाली हैं या उसे जाली या नकली मानने का कारण था; और ख) वह उसी का उपयोग करने का इरादा रखता था; वास्तविक। मामले में आगे कोई संपार्श्विक परिस्थितियाँ सामने नहीं लाई गई हैं जैसे कि अभियुक्त ने पहले ऐसे नोटों को बंद कर दिया था, या कि वह दीपकभाई जग्दीशचंद्र पटेल बनाम में था।

गुजरात राज्य और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

इतनी बड़ी संख्या में ऐसे और इसी तरह के नोटों का कब्जा, कि

किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका कब्जा अकथनीय था।

8. अंत में, उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय की ओर भी ध्यान आकर्षित किया-नशनकर बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य जिस पर उन्होंने जोर दिया

ग्राफ 7 और 8, जो इस प्रकार हैंः

" 7. धारा 489-ए से 489-ई विभिन्न आर्थिक मामलों से संबंधित है।

जाली या नकली मुद्रा नोटों के संबंध में अपराध या बैंकनोट। इन प्रावधानों को लागू करने में विधायिका का उद्देश्य न केवल देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, बल्कि यह भी प्रदान करना है कि

मुद्रा नोटों और बैंकनोटों के लिए पर्याप्त सुरक्षा। द. मुद्रा नोटों की बढ़ती आदत के बावजूद

क्रेडिट कार्ड प्रणाली, अभी भी वाणिज्यिक की रीढ़ है

हमारे देश में भीड़ द्वारा लेनदेन। लेकिन ये प्रावधान

इनका उद्देश्य लापरवाह मालिकों या उपयोगकर्ताओं को दंडित करना नहीं है।

8. ऊपर निकाले गए प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि

धारा 489-बी और 489-सी के तहत अपराधों का कारण "मुद्रा नोटों या बैंकनोटों को जानना या उन पर विश्वास करने का कारण होना है।

जाली या नकली "। उपरोक्त पुरुषों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बेचने, खरीदने या प्राप्त करने या अन्यथा वास्तविक जाली या नकली मुद्रा नोटों या बैंकनोटों की तस्करी या उपयोग के बिना, आई. पी. सी. की धारा 489-बी के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो भी रखने या यहाँ तक कि उपयोग करने का इरादा

कोई जाली या नकली मुद्रा नोट या बैंकनोट नहीं है।

ऊपर उल्लिखित पुरुष अधिकार की अनुपस्थिति में धारा 489-सी के तहत मामला बनाने के लिए पर्याप्त है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है कि अपीलार्थी के पास आवश्यक पुरुष अधिकार था। हालाँकि, उच्च न्यायालय इस पहलू से पूरी तरह चूक गया। विद्वत विचारण न्यायाधीश ने पीडब्लू 2, पीडब्लू 4 और पीडब्लू 7 के साक्ष्य के आधार पर कहा कि वे यह पता लगाने में सक्षम थे कि कथित रूप से पीडब्लू 4 को दिया गया मुद्रा नोट नकली था, ऐसा माना जाता है कि यह एक पुरुष कारण है। घटना के दिन अपीलार्थी को अठारह वर्षीय छात्र कहा गया था। इस मामले के तथ्यों पर निचली अदालत द्वारा तैयार की गई धारणा के तहत वारंट नहीं है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 4। इसके अलावा यह भी नहीं दिखाया गया है कि मुद्रा नोटों के नकली या नकली होने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रश्न अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसकी जांच में रखा गया था। इन तथ्यों पर, हम

उनके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि धारा 489-बी और 489-सी के तहत बनाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसलिए हम अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 489-बी और 489-सी के तहत दी गई दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करते हैं और उसे उक्त आरोपों से बरी करते हैं (देखें - एम. मम्मुट्टी बनाम कर्नाटक राज्य [(1979) 4 एससीसी 723: 1980

एससीसी (सीआरआई) 170: ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1705]। ”

9. राज्य के लिए विद्वान वकील ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि

अपीलार्थी द्वारा स्वयं दिया गया बयान जिसमें अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ कहा है कि उसे सह-अभियुक्त ने बताया था कि उसने अपने आवास पर नकली नोटों वाला एक थैला छोड़ दिया था।

10. राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि न्यायालय यह भी ध्यान में रख सकता है कि मामला केवल आरोप तय करने के चरण में है। धारा के तहत हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया गया है। 482 Cr.PC की, और इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

11. अपीलार्थी प्रस्तुत करेगा कि राज्य द्वारा दिनांकित अतिरिक्त न्यायिक इकबालिया बयान के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिया गया कि यह वह आधार नहीं था जिसके आधार पर आरोप पत्र तैयार किया गया था। दूसरा, यह अपीलार्थी का मामला है कि बयान को बाद में वापस ले लिया गया है।

12. आई. पी. सी. की धारा 489 बी और 489 सी निम्नानुसार हैः

" 489 बी. असली, जाली या नकली मुद्रा-नोट या बैंक-नोट के रूप में उपयोग करना। जो किसी को भी बेचता है, या खरीदता है या प्राप्त करता है।

अन्य व्यक्ति, या अन्यथा किसी जाली या नकली मुद्रा-नोट या बैंक-नोट में तस्करी या असली के रूप में उपयोग करने वाले, यह जानते हुए या यह मानने का कारण होने पर कि यह जाली या नकली है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी विवरण को दस साल तक की अवधि के लिए जब्त करने की सजा दी जाएगी, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

489 सी. जाली या नकली मुद्रा-नोट या बैंक नोटों का कब्जा। — जिसके पास कोई जाली या नकली नोट या बैंक नोट है, वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है। एक ही जाली या नकली होने के लिए और एक ही असली के रूप में उपयोग करने का इरादा या इसे असली के रूप में उपयोग किया जा सकता है, एक अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो हो सकता है

सात साल तक बढ़ाएँ, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ। दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम।

शुल्क के फ्रेमिंग से संबंधित कानून और

चार्ज करें13. हम लाभप्रद रूप से, इस संबंध में, बिहार राज्य बनाम में इस टी के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। रमेश सिंह 5 जिसमें इस न्यायालय ने आरोप तय करने और निर्वहन से संबंधित सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित किया हैः

" एस. एस. पढ़ना। 227 और 228 एक साथ, जैसा कि उन्हें होना भी चाहिए, यह स्पष्ट होगा कि मुकदमे के प्रारंभ और प्रारंभिक चरण में अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की सच्चाई, सत्यता और प्रभाव का सावधानीपूर्वक निर्णय नहीं किया जाना है।

न ही अभियुक्त के संभावित बचाव के साथ कोई वजन जोड़ा जाना चाहिए। मुकदमे के उस चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी भी विस्तार से विचार करे और एक संवेदनशील संतुलन में विचार करे कि क्या तथ्य, यदि साबित हो जाते हैं, तो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं। परीक्षण और निर्णय का मानक जो अंततः अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करने से पहले लागू किया जाना है, कोड के S.227 या S.228 के तहत मामले को तय करने के चरण में बिल्कुल लागू नहीं किया जाना है। उस स्तर पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार है या क्या मुकदमा उसकी दोषसिद्धि में समाप्त होना निश्चित है।

यदि मामला बना रहता है तो अभियुक्त के खिलाफ प्रबल संदेह

सन्देह का क्षेत्र, मुकदमे के समापन पर अपने अपराध के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। लेकिन प्रारंभिक चरण में यदि कोई मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायालय के लिए यह कहना खुला नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्त के अपराध का अनुमान जो प्रारंभिक चरण में निकाला जाना है, फ्रांस में आपराधिक मामलों के मुकदमे को नियंत्रित करने वाले कानून के अर्थ में नहीं है जहां अभियुक्त को दोषी माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। लेकिन यह केवल प्रथम दृष्टया यह तय करने के उद्देश्य से है कि अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं।

यदि वह साक्ष्य जिसे अभियोजक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता है

अभियुक्त के अपराध को साबित करें, भले ही प्रतिपरीक्षा में चुनौती दिए जाने से पहले उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया हो या बचाव पक्ष के साक्ष्य द्वारा खंडन किया गया हो, यदि कोई हो, तो यह नहीं दिखा सकता है कि अभियुक्त ने अपराध को अंजाम दिया था।

अपराध, तो आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा मुकदमे के साथ।

यदि अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता के बारे में पैमानों का पैमाना मुकदमे के समापन पर भी कुछ ऐसा ही है, तो संदेह के लाभ के सिद्धांत पर मामला उसके बरी होने में समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर, दूसरी ओर, यह आदेश देने के प्रारंभिक चरण में है

S.227 या S.228 के तहत, तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से और आम तौर पर जो आदेश दिया जाना है वह इसके तहत एक होगा।

S.228 और S.227 "के तहत नहीं।

14. भारत संघ में v. प्रफुल्ल कुमार सामल और एक अन्य, केस लॉ के बाद, अदालत ने यह निर्धारित किया है:

" 10. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के विचार पर,

निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:

(1) कि न्यायाधीश ने संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते हुए निस्संदेह कहा है यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं, साक्ष्य की छान-बीन और तौल करने की शक्ति

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

(2) जहाँ न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, वहाँ न्यायालय आरोप तैयार करने में पूरी तरह से उचित होगा।

और मुकदमे के साथ आगे बढ़ना।

(3) प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और इसका निर्धारण करना मुश्किल है।

सार्वभौमिक अनुप्रयोग का एक नियम। तथापि, यदि मोटे तौर पर दो विचार समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ कुछ संदेह को जन्म देते हुए लेकिन गंभीर संदेह को जन्म नहीं देते हैं, तो वह

अभियुक्त को दोषमुक्त करने के उसके अधिकार के भीतर पूरी तरह से हो।

(4) कि संहिता की धारा 227 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश, जो वर्तमान संहिता के तहत एक वरिष्ठ और अनुभवी अदालत है, केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य के कुल प्रभाव पर विचार करना होगा और

1979 एससी 366 दीपाकभाई जग्दीशचंद्र पटेल बनाम। गुजरात राज्य और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, मामले में दिखाई देने वाली कोई भी बुनियादी दुर्बलताएँ आदि। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायाधीश को पक्षकारों और पक्षकारों की बारी-बारी से जाँच करनी चाहिए।

मामले के विपक्ष और सबूतों को तौलें जैसे कि वह एक मुकदमा चला रहा था।

15. यह राज्य का मामला है कि अपीलार्थी को पता था कि नोट नकली और नकली नोट थे और वह होश में था

15 दिनों के लिए नकली नोटों को अपने पास रखें। आरोप तय करने के लिए, जो आवश्यक है वह प्रथम दृष्टया संतुष्टि है। नकली नोटों से संबंधित अपराध एक गंभीर अपराध है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 16. पहले आरोपी के बयान में उसने कहा है कि वह 15 दिन पहले अहमदाबाद आया था। उस समय, उसने अपीलार्थी से कहा था कि नकली नोट सस्ते में बेचे जाने हैं और वर्तमान में वह उन नोटों को अपने पास रख सकता है। वह आगे कहता है कि वह इन नोटों को अपीलार्थी के आवास से लाया था और वह तब पकड़ा गया था जब वह सस्ते मूल्य पर नोट बेच रहा था।

17. अपीलार्थी द्वारा दिनांक आई. डी. 1 पर राज्य द्वारा दिए गए पहले बयान में, अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी होने का श्रेय दिया जाता है कि थैले में नकली नोट पहले अभियुक्त द्वारा अपीलार्थी के आवास पर छोड़े गए थे और उन्हें सस्ते मूल्य पर बेचा जाना था और इसे कुछ दिनों के लिए उसके आवास पर रखा गया था। 18. इसके बाद, उनका बयान फिर से 10.07.1996 पर दर्ज किया गया। इसमें, वह अन्य बातों के साथ कहता है कि पहले आरोपी ने उसे बताया कि थैला

इसमें भूमि सौदों से संबंधित फाइलें हैं और इसमें कीमती सामान हैं।

पहला आरोपी और यह कि उसने बैग को अपने आवास पर यह कहते हुए छोड़ दिया था कि बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। 20. ये संक्षेप में वे सामग्री हैं जिन पर राज्य द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तैयार करने वाले आदेश को बनाए रखने के लिए भरोसा किया गया था। अर्थात्, धारा 161 के तहत अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान और सह-अभियुक्त द्वारा भी दिए गए बयान।

21. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय से जो करने की अपेक्षा की जाती है, वह केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करता है।

लय को [2019] 6 एस. सी. आर. करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तव में उसके सामने सामग्री की छान-बीन करें। जाँच की जाने वाली सामग्री वह सामग्री होगी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उत्पादित और उस पर निर्भर किया जाता है। जाँच इस अर्थ में सावधानीपूर्वक नहीं की जानी चाहिए कि न्यायालय पूरे साक्ष्य को प्रस्तुत करने के बाद दलीलें सुनने वाले विचारण न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालता है।

पूर्ण सुनवाई के बाद और सवाल यह नहीं है कि क्या अभियोजन पक्ष ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मामला बनाया है। बस इतना ही आवश्यक है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि उपलब्ध सामग्रियों के साथ, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए एक मामला बनाया जाता है। एक मजबूत संदेह

पर्याप्त है। हालांकि, कुछ सामग्री पर एक मजबूत संदेह स्थापित किया जाना चाहिए। सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसका परीक्षण के चरण में साक्ष्य में अनुवाद किया जा सके। प्रबल संदेह विशुद्ध व्यक्तिपरक नहीं हो सकता है।

न्यायाधीश की नैतिक धारणाओं के आधार पर संतुष्टि कि यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ यह संभव है कि अभियुक्त ने अपराध किया हो। दृढ़ संदेह वह संदेह होना चाहिए जो कुछ सामग्री पर आधारित हो जो अदालत के समक्ष खुद को इस प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मानता है कि आरोपी ने अपराध किया है।

22. निस्संदेह, इस न्यायालय ने सुरेश बुधर्मल कलानी उपनाम में

पप्पु कलानी (ऊपर) ने यह विचार रखा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक मामले वाले सह-अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति स्वयं उसके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हम संयोग से ध्यान दे सकते हैं कि न्यायालय ने कश्मीरा सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। मध्य प्रदेश राज्य '। हम ध्यान देते हैं कि जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है, वे एक अपील के संदर्भ में की गई थीं जो

विचारणक बाद ओहिमे अपीलकर्ताक दोषसिद्धि। इसी दृष्टिकोण का निस्संदेह अन्य मामलों में भी पालन किया गया है जहां यह प्रश्न दोषसिद्धि और उससे अपील के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था। हालाँकि, सुरेश बुधरमल कलानी उपनाम पप्पु कलानी (ऊपर) में, अदालत आगे बढ़ी है।

यह विचार रखने के लिए कि केवल सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर, आरोप तैयार करने के लिए भी कोई मामला नहीं बनाया जाता है।

23. पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या अपीलार्थी

यह तर्क देना उचित था कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि में पड़ गया कि वसूली अपीलार्थी के निवास से नकली मुद्रा से की गई थी। अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत में यह एक महत्वपूर्ण विचार था।

24. राज्य के विद्वान वकील ने वास्तव में गंभीरता से नहीं लिया

अपीलार्थी के निवास से प्रभावित।

25. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 (इसके बाद लाल से संक्षिप्त में 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में)एक पुलिस अधिकारी को किया गया समर्पण। वास्तव में यह घोषणा करता है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई भी स्वीकारोक्ति बाड़ लगाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं की जाएगी। दूसरी ओर साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 इस प्रकार है -

बनाम ः

" 26. पुलिस की हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति उसके खिलाफ साबित नहीं की जानी चाहिए। - पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी स्वीकारोक्ति, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं की जाती है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगी। स्पष्टीकरण। इस धारा में "मजिस्ट्रेट" में मजिस्ट्रेट कार्यों का निर्वहन करने वाले गाँव के प्रमुख को शामिल नहीं किया गया है।

फोर्ट सेंट जॉर्ज या कहीं और की प्रेसीडेंसी, जब तक कि ऐसा मुखिया मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो

दंड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10)।

26. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 एक अपवाद प्रस्तुत करती है।

27. एम. मोनीर द्वारा साक्ष्य के कानून में, 17 वां संस्करण, पृष्ठ 555, हम

ई खंड के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित चर्चा

एक तरफ और दूसरी तरफ धारा 26:

..... यह धारा उन इकबालिया बयानों से संबंधित है जो पुलिस अधिकारियों को नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को दिए जाते हैं, उदाहरण के लिए, एक साथी कैदी, एक डॉक्टर या एक आगंतुक को, और ऐसे इकबालिया बयानों को अस्वीकार्य बनाता है यदि वे उस समय किए गए थे जब आरोपी जेल में था।

एक पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा। धारा 25 में स्वीकारोक्ति को बाहर करने का मानदंड प्रश्न का उत्तर है। " यह कबुली किसके सामने की गई थी? यदि जवाब यह है कि यह एक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया था, तो स्वीकारोक्ति को सबूत से पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। दूसरी ओर, धारा 26 में अपवर्जित करने के लिए अपनाया गया मानदंड

स्वीकारोक्ति सवाल का जवाब है। किस आधार पर

परिस्थितिसभमे स्वीकारोक्ति कयल गेल छल? यदि इसका उत्तर यह है कि यह उस समय किया गया था जब अभियुक्त एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में था, तो कानून में कहा गया है कि इस तरह के स्वीकारोक्ति को इस मामले से बाहर रखा जाएगा।

साक्ष्य, जब तक कि यह तत्काल उपस्थिति में नहीं किया गया था

मजिस्ट्रेट "। 28. साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 इस प्रकार हैः

" 30. साबित स्वीकारोक्ति पर विचार करना जो व्यक्ति को प्रभावित करता है

यह और अन्य एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचाराधीन हैं। — जब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा हो, और

स्वयं को और ऐसे व्यक्तियों में से कुछ अन्य को प्रभावित करने वाले ऐसे व्यक्तियों में से एक द्वारा की गई स्वीकारोक्ति साबित हो जाती है, न्यायालय ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ ऐसी स्वीकारोक्ति पर विचार कर सकता है जैसे कि

साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ जो इस तरह की स्वीकारोक्ति करता है।

स्पष्टीकरण। - " अपराध ", जैसा कि इस धारा में उपयोग किया गया है, में अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना शामिल है।

29. कबुलीजबाब देते समय, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कबुलीजबाब के बराबर क्या है। पाकला नारायण में प्रिवी काउंसिलनी वी. सम्राटः

" ..... इसके अलावा, एक स्वीकारोक्ति को या तो अपराध के संदर्भ में स्वीकार करना चाहिए, या किसी भी तरह से उन सभी तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए जो अपराध का गठन करते हैं। एक गंभीर रूप से दोषपूर्ण तथ्य की स्वीकृति, यहां तक कि एक निर्णायक रूप से दोषारोपण करने वाला तथ्य अपने आप में एक स्वीकारोक्ति नहीं है, उदाहरण के लिए एक स्वीकारोक्ति कि आरोपी चाकू या रिवॉल्वर का मालिक है और हाल ही में उसके कब्जे में था, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ उलझन

ऐसा प्रतीत होता है कि 'स्वीकारोक्ति' की परिभाषा के कारण हुआ है

कि उसने वह अपराध किया है। यदि आसपास के लेखों की जांच की जाती है तो यह स्पष्ट होगा कि विद्वान लेखक आम तौर पर प्रवेश से निपटने के बाद आपराधिक मामलों में प्रवेश के लिए खुद को आवेदन कर रहा है, और इस उद्देश्य के लिए स्वीकारोक्ति को परिभाषित करता है ताकि ऐसे सभी प्रवेशों को शामिल किया जा सके, ताकि निम्नलिखित तीन लेखों में उपयोग के लिए एक सामान्य शब्द हो, प्रलोभन द्वारा सुरक्षित स्वीकारोक्ति, शपथ पर की गई, गोपनीयता के वादे के तहत की गई। यह परिभाषा साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निहित नहीं हैः और उस अधिनियम में यह अर्थ लगाने के लिए भाषा के प्राकृतिक उपयोग के अनुरूप नहीं होगा एक अभियुक्त द्वारा एक बयान के रूप में स्वीकारोक्ति "निष्कर्ष का सुझाव देती है

कि उसने "अपराध" किया।

9) पी. सी. 47 (20.01.1939)

30. प्रिवी काउंसिल के इस दृष्टिकोण को इस बात की स्वीकृति मिल गई है

कई फैसलों में अदालत। इनमें पलविंदर कौर बनाम शामिल हैं। पंजाब राज्य और वीरा इब्राहिम बनाम। महाराष्ट्र राज्य 1 0 10.

31. इस न्यायालय का एक पूर्ण न्यायालय, एम. पी. शर्मा मामले में निर्णय में और

4 अन्य वी। सतीश चंद्र, जि. मजिस्ट्रेट, दिल्ली और 4 अन्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) में निहित अभिव्यक्ति के दायरे पर विचार किया, जो यह आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में अभियुक्त नहीं है।

अपराध को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाएगाः

" मोटे तौर पर कहा गया है कि Art.20 (3) में गारंटी "प्रशंसापत्र" के खिलाफ है।

मजबूरी "। लेकिन इसे मौखिक तक सीमित रखने का कोई कारण नहीं है। बुलाए जाने पर किसी अपराध के लिए अपने मुकदमे में खड़े व्यक्ति का साक्ष्य

गवाह के लिए-खड़े हो जाओ। अभियुक्त को इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की गई

जहाँ तक यह वाक्यांश "गवाह होना" से संबंधित है, केवल इसमें नहीं है

न्यायालय कक्ष में गवाही संबंधी मजबूरी का सम्मान लेकिन अच्छी तरह से हो सकता है उससे पहले प्राप्त जबरन गवाही तक विस्तारित। यह है।

इसलिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ एक औपचारिक आरोप है

एक अपराध के करने से संबंधित आरोप लगाया गया है जो

सामान्य प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अभियोजन हो सकता है।

इस संदर्भ में विचार करते हुए, अनुच्छेद 20 (3) के तहत गारंटी होगी

उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो जिसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट हो

उसमें अभियुक्त के रूप में दर्ज किया गया है। यह किसी भी के लिए विस्तारित होगा साक्ष्य दस्तावेजों के उत्पादन के लिए अनिवार्य प्रक्रिया जो

उनके खिलाफ अभियोजन का समर्थन करने की उचित संभावना है।

(जोर दिया गया)

32. बम्बई राज्य बनाम। काठी कालू ओघड़ 1 2,11 की एक बेंच

इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों को "अपराध का अभियुक्त व्यक्ति" अभिव्यक्ति की वास्तविक चौड़ाई पर विचार करने का अवसर मिला। बहुमत की ओर से बोलते हुए सिन्हा, सी. जे. ने इस प्रकार कहाः

" 14. इस संबंध में हमारे सामने यह सवाल उठाया गया था कि

मामले को अनुच्छेद के खंड (3) के निषेध के भीतर लाने का आदेश

20 , यह आवश्यक नहीं है कि बयान दिया जाना चाहिए था

अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उस समय जब उसने उस चरित्र को पूरा किया;

यह पर्याप्त है कि वह एक आरोपी व्यक्ति होना चाहिए था

9 आकाशवाणी 1952 एस. सी. 354

11 ए. आई. आर 1954 एस. सी. 300 12 AIR 1961 SC 1808 [2019] 6 S. C. R.

उस समय जब बयान को अदालत में साबित करने की मांग की गई थी, भले ही वह उस समय आरोपी व्यक्ति नहीं था जब उसने वह बयान दिया था। मोहम्मद के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले की शुद्धता

दस्तगीरव। मद्रास राज्य [(1960) 3 एस. सी. आर. 116] पर सवाल उठाया गया क्योंकि यह कहा गया था कि यह शर्मा मामले [(1954) एस. सी. आर. 1077] में पूर्ण न्यायालय की टिप्पणियों के विपरीत था। इस न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के निर्णय में यह प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से नहीं उठा था और न ही इसका निर्णय लिया गया था। दूसरी ओर, इस न्यायालय ने शर्मा मामले में [(1954) एस. सी. आर. 1077] अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत संरक्षण उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ औपचारिक आरोप लगाया गया था, क्योंकि वह प्रथम सूचना है।

उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसलिए शर्मा मामले [(1954) एस. सी. आर. 1077] ने मोहम्मद दस्तगीर बनाम में इस न्यायालय द्वारा कही गई बातों के विपरीत कुछ भी निर्णय नहीं लिया। मद्रास राज्य [(1960) 3 एससीआर 116]। हमारी राय में बाद का निर्णय कानून को सही तरीके से निर्धारित करता है।

15. साक्ष्य को अनुच्छेद 20 के खंड (3) के अवरोधों के भीतर लाने के लिए यह न केवल दिखाया जाना चाहिए कि बनाने वाला व्यक्ति

बयान उस समय एक आरोपी था जब उसने इसे बनाया था और यह कि इसमें निर्माता की आपराधिकता से संबंधित सामग्री थी

बयान का, लेकिन यह भी कि वह ऐसा करने के लिए मजबूर था

बयान। ..... '

(जोर दिया गया)

33. न्यायालय ने पैराग्राफ-16 में भी अपने निष्कर्ष रखेः

" 16. इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हम इस पर आए हैं

निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैंः

(1) एक अभियुक्त व्यक्ति को मजबूर नहीं कहा जा सकता है।

अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए केवल इसलिए कि उसने पुलिस हिरासत में रहते हुए बिना कुछ और के बयान दिया था। दूसरे शब्दों में, उस समय पुलिस हिरासत में होने का मात्र तथ्य जब प्रश्नगत बयान दिया गया था, अपने आप में, कानून के प्रस्ताव के रूप में, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अभियुक्त बयान देने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि यह तथ्य, किसी विशेष मामले में साक्ष्य में प्रकट की गई अन्य परिस्थितियों के संयोजन के साथ, एक जांच में एक प्रासंगिक विचार होगा दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम।

क्या अभियुक्त व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था या नहीं

विवादित बयान।

(2) पुलिस द्वारा केवल एक अभियुक्त व्यक्ति से पूछताछ

अधिकारी, जिसके परिणामस्वरूप एक स्वैच्छिक बयान, जो अंततः हो सकता है

दोषपूर्ण साबित होना, "मजबूरी" नहीं है।

(3) " गवाह होना "साक्ष्य प्रस्तुत करने" के बराबर नहीं है।

दस्तावेज़ या ऐसी सामग्री देना जो किसी परीक्षण में प्रासंगिक हो सकती है अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करें।

(4) अंगूठे की छाप या पैर या हथेली की छाप देना या

अँगुलियाँ या नमूना लेखन या शरीर के अंगों को दिखाना पहचान की अभिव्यक्ति "एक होना" में शामिल नहीं है

गवाह "।

(5) " साक्षी होने का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना।

मौखिक कथन या लिखित कथन द्वारा प्रासंगिक तथ्यों का, न्यायालय में या अन्यथा किया गया या दिया गया।

(6) " अपने सामान्य व्याकरणिक अर्थ में "गवाह" होने का अर्थ है

अदालत में मौखिक गवाही देना। मामला कानून इससे आगे निकल गया है।

अभिव्यक्ति की सख्त शाब्दिक व्याख्या जो अब सहन कर सकती है

एक व्यापक अर्थ, अर्थात्, अदालत में या अदालत के बाहर गवाही देना

मौखिक या लिखित रूप में अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा न्यायालय।

(7) प्रश्नगत कथन को निषेध के दायरे में लाना

अनुच्छेद 20 (3), अभियुक्त व्यक्ति चरित्र में खड़ा होना चाहिए।

जिस समय उसने बयान दिया था उस समय एक अभियुक्त व्यक्ति का। यह नहीं है।

इतना कि वह किसी भी समय आरोपी बन जाए

बयान दिया गया है "।

(जोर दिया गया)

34. Cr.PC की धारा 161 में निम्नलिखित सीमांत नोट हैः

" पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ "

35. क्या अपराध के आरोपी व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है?

आर Cr.PC की धारा 161? जैसा कि हमने देखा है, जब कोई व्यक्ति

प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक आरोपी के रूप में, वह एक आरोपी व्यक्ति के रूप में खड़ा होगा। धारा 161 [2019] 6 एस. सी. आर. का सीमांत नोट नहीं है।

ई Cr.PC पुलिस अधिकारी को जाँच करने की शक्ति सीमित करें

डी अभियुक्त के रूप में? ये प्रश्न अब एकीकृत नहीं हैं। में। इनी सत्पथी वी. पी. एल. दानी और अन्य 1,3, तीन विद्वानों की एक पीठ

एस एक ऐसे मामले से निपट रहा था जो शुरू की गई कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था

आई. पी. सी. की धारा179 के तहत उसमें अपीलार्थी। पाठ्यक्रम में ई निर्णय, पीठ की ओर से बोलते हुए, यह वही न्याय है

कृष्ण अय्यर को कहना पड़ाः

और हमारे न्यायालय के निर्णयों का विज्ञापन करें जो स्वर निर्धारित करते हैं और "मौन" खंड का गुस्सा और हमें विल-निली से बांधें। हमारे पास है।

पहले बताया गया था कि हम धारा 161 (2) को एक प्रकार का क्यों मानते हैं

अनुच्छेद 20 (3) पर संसदीय टिप्पणी। तो, पहला बिंदु

यह तय करें कि क्या पुलिस के पास धारा 160 के तहत अधिकार हैं और

161 सी. आर. पी. सी. के उस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए जो, तब या में था

भविष्य एक अभियुक्त व्यक्ति के रूप में अवतार ले सकता है। प्रिवी काउंसिल

और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 161 के दायरे में शामिल हैं

वास्तविक अभियुक्त और संदिग्ध और हम इसके बिना सहमत हैं

वकील द्वारा हमारे सामने आग्रह किए गए विस्तृत कारणों को दोहराते हुए। ”

(जोर दिया गया)

36. इसके बाद, पकला नारायण स्वामी (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद,

'स्वीकारोक्ति' शब्द के दायरे को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ माना

कमियाँः

" 33 ..... हमारा मानना है कि "किसी भी व्यक्ति को परिचित होना चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ "एक आरोपी शामिल है

व्यक्ति जो उस भूमिका को भरता है क्योंकि पुलिस को लगता है कि उसके पास है

खंड को पीछे हटा दें। न ही सीमांत नोट की जाँच की जाती है। पुलिस द्वारा गवाहों की संख्या मामले को पकड़ती है। एक सीमांत नोट साफ हो जाता है

एक कार्यात्मक कोण, एक प्रासंगिक के संबंध में ज्ञान प्रदान करना है तथ्य, और ठीक यही आरोपी से पूछताछ करने का उद्देश्य है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत। ..... "

1978 एस. सी. 1025 दीपाकभाई जग्दीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

37. इस प्रकार, काफी स्पष्ट रूप से, एक व्यक्ति जो जूते में खड़ा है

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित होने के कारण, Cr.PC की धारा 161 के तहत ई. पुलिस अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है। अगला प्रश्न यह है कि क्या बयान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया है जो इसमें उपस्थित है।

एक अभियुक्त और जो एक बयान देता है, क्या

नेन्ट कानून में स्वीकार्य है? यह यहाँ है कि संहिता की धारा 162

खेल में एसः

" 162. पुलिस को दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिएः बयानों का उपयोग

सबूत।

(1) इस अध्याय के तहत जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान पर, यदि लिखित रूप में सीमित किया जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे; और न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे बयान या रिकॉर्ड का कोई हिस्सा, किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसके बाद, उस समय जब ऐसा बयान दिया गया था, जांच के तहत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे मेंः बशर्ते कि जब ऐसी जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए कोई गवाह बुलाया जाता है, जिसके बयान को लिखित रूप में कम कर दिया गया है, तो उसका कोई भी भाग बयान, यदि विधिवत साबित हो जाता है, तो अभियुक्त द्वारा उपयोग किया जा सकता है, और

न्यायालय की अनुमति, अभियोजन पक्ष द्वारा, इस तरह का खंडन करने के लिए

भारतीय संविधान की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से गवाह साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1); और जब ऐसे कथन के किसी भी भाग का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो उसके किसी भी भाग का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में भी किया जा सकता है, लेकिन केवल स्पष्टीकरण के उद्देश्य से।

उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट कोई भी मामला।

(2) इस धारा की कोई बात धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के भीतर आने वाले किसी भी कथन पर लागू नहीं मानी जाएगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए। स्पष्टीकरण। - उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति को बताने में चूक विरोधाभासी हो सकती है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण और अन्यथा प्रासंगिक प्रतीत होती है जिसमें ऐसी चूक होती है और क्या कोई चूक विशेष संदर्भ में विरोधाभास के बराबर है, तो यह प्रश्न होगा -

तथ्य। "[2019]

6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

38. महाबीर में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ

हेल और अन्य वी। बिहार राज्य का यह कहना थाः

" 39. कासिम के मामले में, हम पाते हैं कि कोई नहीं है

विश्वसनीय साक्ष्य जो यह दिखा सकते हैं कि कासिम उस समय उपस्थित था घटना की रात महाबीर का घर और इंदिरा के शव के निपटान में भाग लिया। अभियोजन पक्ष ने कासिम और महादेव अभियुक्तों द्वारा पुलिस थाने में कथित रूप से दिए गए बयान पर रिलायंस को पेश किया था।

बैजनाथ द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद बैजनाथ पीडब्लू स्टेशन। इस तरह के बयान कानूनी रूप से सबूत में स्वीकार्य नहीं हैं और इन्हें ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अनुसार, जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को कोई बयान नहीं दिया गया

जाँच या मुक़दमे में अभियोजन पक्ष, उसके बयान का कोई भी हिस्सा, यदि विधिवत साबित हो जाता है, तो अभियुक्त द्वारा और अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत की अनुमति से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे गवाह का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और जब ऐसे कथन के किसी भाग का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो उसके किसी भी भाग का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में केवल उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी भी मामले को समझाने के उद्देश्य से किया जा सकता है। हालाँकि, उपरोक्त नियम आने वाले बयानों पर लागू नहीं होता है।

भारतीय संविधान की धारा 32 के खंड 1 के प्रावधानों के भीतर

साक्ष्य अधिनियम या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अस्वीकृति का बार काम करता है।

न केवल गवाहों के बयानों पर बल्कि अभियुक्तों के बयानों पर भी (नारायण स्वामी बनाम देखें। सम्राट [ए. आई. आर. 1939 पी. सी. 47])। लॉर्ड एटकिन, उस मामले में, दंड संहिता की धारा 162 से निपटते हुए

प्रक्रिया का अवलोकन किया गयाः

" फिर विचाराधीन खंड का अनुसरण किया जाता है जो 'किसी भी व्यक्ति' से संबंधित सामान्य तरीके से तैयार किया गया है। कि उनके सामान्य अर्थ में शब्दों में कोई भी व्यक्ति शामिल होगा, हालांकि वह

इसके बाद अभियुक्त स्पष्ट प्रतीत हो सकता है। अपराध की जांच

जिन पर या उन सभी पर उस समय संदेह हो सकता है। सबसे पहले धारा के शब्द जो कथन को प्रतिबंधित करते हैं यदि से दर्ज किया जाता है

हस्ताक्षर किए जाने पर उस समय दिए गए सभी बयानों पर लागू होना चाहिए।

और इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान पर लागू होना चाहिए।

संभवतः तब भी संदेह नहीं हुआ, लेकिन अंततः आरोपी बनाया गया।

भारतीय संविधान की धारा 26 का भी उल्लेख किया जा सकता है।

साक्ष्य अधिनियम, जिसके अनुसार किसी द्वारा कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई हो

व्यक्ति जब तक कि वह एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, जब तक कि वह

मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में किया गया, साबित किया जाएगा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। वर्तमान मामले में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।

कि कासिम और महादेव द्वारा दिए गए बयान

18 सितंबर, 1963 को पुलिस स्टेशन में आरोपी बैजनाथ की उपस्थिति के परिणामस्वरूप किसी भी अपराध की खोज हुई

ऐसी सामग्री जो उन्हें धारा 27 के तहत स्वीकार्य बना सके

भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस प्रकार, उपरोक्त कथनों को होना चाहिए

विचार से बाहर रखा गया "।

(जोर दिया गया)

39. इसलिए, इन प्रावधानों का संयुक्त प्रभाव हो सकता है -

संक्षेप में इस प्रकार हैः

जब तक किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है, वह दावा नहीं कर सकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का संरक्षण।

40. ऐसा व्यक्ति, अर्थात। , व्यक्ति जिसका नाम एफ. आई. आर. में है, और

इसलिए, कानून की नजर में आरोपी से वास्तव में पूछताछ की जा सकती है और बयान पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया

इकबालिया बयान अस्वीकार्य होगा। एक स्वीकारोक्ति, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत दूषित किया जाता है, भी अस्वीकार्य होगा। एक स्वीकारोक्ति जब तक कि यह पाकला नारायण स्वामी (उपरोक्त) में निर्धारित परीक्षा को पूरा नहीं करती है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, तब भी धारा के तहत प्रवेश के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

21 साक्ष्य अधिनियम। हालाँकि, यह Cr.PC की धारा 161 के तहत एक कथन की स्वीकार्यता के प्रतिबंध के अधीन है। इसलिए, भले ही बयान में स्वीकार किया गया है, बयान धारा 161 के तहत एक है, यह तुरंत Cr.PC की धारा 162 के तहत प्रतिबंध को आकर्षित करेगा।

41. धारा 162 Cr.PC के तहत बार, निस्संदेह, के संबंध में काम करता है

दो समय के बीच एक पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान, [2019] 6 एस. सी. आर.

. ऐसे मामले में जहां बयान में स्वीकारोक्ति नहीं है लेकिन

कुछ और नहीं।42. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो v. वी. सी. शुक्ला और अन्य तीन विद्वान न्यायाधीशों ने पाकला नारायण स्वामी ए) को मंजूरी देने के बाद स्वीकारोक्ति चूक के बीच के अंतर पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 45. इस प्रकार यह देखा गया है कि केवल स्वैच्छिक और प्रत्यक्ष

अपराध की स्वीकृति एक स्वीकारोक्ति है लेकिन जब कोई स्वीकारोक्ति अपराध की वास्तविक स्वीकृति से कम हो जाती है तो फिर भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

इसे बनाने वाले व्यक्ति या उसके अधिकृत व्यक्ति के खिलाफ सबूत के रूप में धारा 21 के तहत "प्रवेश" के रूप में अभिकर्ता। इस संबंध में कानून

स्पष्ट रूप से किया गया है-और हमारे विचार में सही है

मोनिर के साक्ष्य के नियम में समझाया गया है। 205 और 206), जिस पर श्री जेठमलानी ने अपना तर्क घर लाने के लिए भरोसा किया कि भले ही प्रविष्टियों को जैनों के "प्रवेश" के रूप में माना जाए, फिर भी उनका उपयोग श्री आडवाणी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक परिच्छेद यह नीचे लिखा हैः

" प्रवेश और स्वीकारोक्ति के बीच का अंतर दो कारणों से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान, यदि यह एक स्वीकारोक्ति है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य है, जब तक कि यह बयान एक स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं है और किसी अनुचित प्रलोभन, धमकी या वादे के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी व्यक्ति को दिया गया था, या किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया था, या उस समय दिया गया था जब आरोपी एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में था। यदि अभियुक्त द्वारा हाल ही में उल्लिखित परिस्थितियों में कोई बयान दिया गया था, तो इसकी स्वीकार्यता इस प्रश्न के निर्धारण पर निर्भर करेगी कि क्या यह स्वीकारोक्ति नहीं है। यदि यह एक स्वीकारोक्ति के बराबर है, तो यह होगा

अस्वीकार्य, लेकिन यदि यह एक स्वीकारोक्ति नहीं है, तो यह अधिनियम की धारा 21 के तहत एक प्रवेश के रूप में स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि कि यह एक ऐसे तथ्य के बारे में एक निष्कर्ष का सुझाव देता है जो मामले में मुद्दा है, या प्रासंगिक है, और मामले में एक पुलिस अधिकारी को नहीं दिया गया था।

1998 एस. सी. 1406 दीपाकभाई जग्दीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

संहिता के अध्याय XIV के तहत एक जांच की प्रक्रिया

दंड प्रक्रिया। दूसरा, एक द्वारा दिया गया बयान

अभियुक्त व्यक्ति अन्य लोगों के खिलाफ स्वीकार्य है जिन्हें किया जा रहा है

उसके साथ संयुक्त रूप से केवल तभी मुकदमा चलाया जाता है जब बयान एक

स्वीकारोक्ति। जहाँ बयान एक स्वीकारोक्ति से कम है, वह

उन लोगों के खिलाफ नहीं जिन पर उनके साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा है। अतः साक्ष्य की धारा 30 के दृष्टिकोण से

स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति के बीच का अंतर भी बताएँ।

यह मौलिक महत्व का है।

9999

(जोर दिया गया)

43. साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 21. उन्हें बनाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रवेश का प्रमाण, और या

उनकी तरफ से। प्रवेश प्रासंगिक हैं और साबित किए जा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो उन्हें बनाता है, या उसका प्रतिनिधि

ब्याज; लेकिन उन्हें व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित नहीं किया जा सकता है।

जो उन्हें ब्याज में या अपने प्रतिनिधि द्वारा बनाता है, सिवाय इसके कि

निम्नलिखित मामलेः

(1) प्रवेश व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित किया जा सकता है।

इसे बनाना, जब यह ऐसी प्रकृति का होता है कि, अगर व्यक्ति बना रहा है

यह मृत था, यह तीसरे व्यक्तियों के बीच प्रासंगिक होगा

धारा 32 के तहत।

(2) प्रवेश व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित किया जा सकता है।

इसे बनाते हुए, जब इसमें अस्तित्व का एक कथन होता है मन या शरीर की कोई स्थिति, प्रासंगिक या मुद्दे में, या

उस समय के बारे में जब मन या शरीर की ऐसी स्थिति मौजूद थी, और अपने झूठ को प्रस्तुत करने वाले आचरण के साथ है

असंभव है।

(3) प्रवेश व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित किया जा सकता है।

इसे बनाना, यदि यह एक प्रवेश के अलावा अन्य रूप से प्रासंगिक है।

44. इस प्रकार, प्रवेश के लिए कितनी राशि का उपयोग किया जा सकता है

प्रवेश का आर या ब्याज में उसका प्रतिनिधि। किस बारे में

यह बताता है कि साक्ष्य की धारा 17 में प्रवेश पाया जाता है जो प्रवेश को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 17. प्रवेश परिभाषित किया गया है। - प्रवेश एक बयान है, मौखिक या

मुद्दे में किसी भी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के रूप में निष्कर्ष, और जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा, और परिस्थितियों में,

इसके बाद उल्लेख किया गया है "।

45. भरत सिंह और अन्य बनाम। एमएस. भागीरथी 1 6, वास्तविक प्रकृति

प्रवेश के साक्ष्य मूल्य का, और क्या प्रवेश के निर्माता का सामना किए बिना, इसका उपयोग किया जा सकता है, का उल्लेख किया गया है और इस न्यायालय को यही कहना थाः

" 19. प्रवेश स्पष्ट होना चाहिए कि क्या उनका उपयोग उनके खिलाफ किया जाना है

उन्हें बनाने वाला व्यक्ति। प्रवेश मूल प्रमाण हैं जिनके द्वारा भारतीय साक्ष्य की धारा 17 और 21 को ध्यान में रखते हुए

अधिनियम, हालांकि वे स्वीकार किए गए मामलों का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। हमारी राय है कि विधिवत साबित किए गए प्रवेश स्वीकार्य हैं।

सबूत भले ही उन्हें बनाने वाला पक्ष उपस्थित हुआ हो

गवाह पेटी में या नहीं और क्या वह पक्ष जब उपस्थित होता है गवाह के रूप में उन बयानों के साथ सामना किया गया था यदि यह किया गया था

उन स्वीकारों के विपरीत एक बयान। इसका उद्देश्य

साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत गवाह का खंडन करना

यह प्रवेश साबित करने के उद्देश्य से बहुत अलग है।

स्वीकार करना स्वीकार किए गए तथ्य का ठोस प्रमाण है जबकि

गवाह का खंडन करने के लिए उपयोग किया गया पिछला बयान नहीं बनता है

ठोस साक्ष्य और केवल फेंकने के उद्देश्य को पूरा करता है गवाह की सच्चाई पर संदेह। कौन सा भार लगाया जाना है

एक पक्ष द्वारा की गई स्वीकृति के लिए एक मामला इसके उपयोग से अलग है स्वीकार्य सबूत के रूप में "।

(जोर दिया गया)

46. वी. सी. शुक्ला में निहित कानून के बयान से और

अन्य (ऊपर), यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वीकारोक्ति क्या है और कैसे यदि यह स्वीकारोक्ति का गठन नहीं करता है, तो यह अभी भी एक स्वीकारोक्ति हो सकती है। एक प्रवेश होने के नाते, यह साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य हो सकता है बशर्ते कि यह अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित प्रवेश की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। साक्ष्य अधिनियम। हालाँकि, भले ही यह एक स्वीकारोक्ति हो, अगर इसे Cr.PC के तहत जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी को दिया जाता है, तो यह Cr.PC की धारा 162 के तहत स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निषेध करता है।

धारा 161 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान का उपयोग

16 ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 405 दीपाकभाई जग्दीशचंद्र पटेल बनाम। गुजरात राज्य और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

Cr.PC सिवाय उस उद्देश्य के जो उसमें उल्लिखित है। धारा 161 के तहत दिया गया बयान, भले ही प्रासंगिक हो, क्योंकि इसमें एक स्वीकारोक्ति शामिल है, स्वीकार्य नहीं होगा, हालांकि एक स्वीकारोक्ति से कम होने वाला प्रवेश जो अन्यथा किया जा सकता है, ठोस सबूत बन सकता है।

47. एक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। प्रत्यर्थी द्वारा जिस कथन पर भरोसा किया गया है वह दिनांकित 11.04.1996 है और

अपीलार्थी को 11.04.1996 पर गिरफ्तार किया गया था। यह 10.04.1996 पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार है। 11.04.1996 दिनांकित बयान एक पुलिस अधिकारी को दिया जाता है। यह प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कथन और दिनांकित 10.08.1996 (अनुलग्नक आर/6) पत्र से भी स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से जांच के दौरान है। भले ही इसमें प्रवेश शामिल हों धारा 162 के आधार पर और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा वी. सी. शुक्ला और अन्य (ऊपर) में व्याख्या की गई है, ऐसे प्रवेश स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं।

48. यदि अपीलार्थी द्वारा 11.04.1996 पर दिया गया बयान अस्वीकार्य है, तो यह तय करने में विचार करने के लिए केवल सह-अभियुक्त का बयान उपलब्ध होगा कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय किया जाना है या नहीं। यही वह कानून है जो इस अदालत ने सुरेश बुधर्मल कलानी उपनाम पप्पु कलानी में निर्धारित किया है।

(उपरि) लागू हो जाता है।

49. हम हरिचरण कुर्मी बनाम में सात विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में निम्नलिखित कथन पर भी ध्यान देते हैं। बिहार राज्य 1 7:

" धारा 30, साक्ष्य अधिनियम में निहित प्रावधानों के परिणामस्वरूप, सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति को राशि माना जाना चाहिए।

एक सामान्य तरीके से साक्ष्य के लिए, क्योंकि न्यायालय द्वारा जिस पर भी विचार किया जाता है वह साक्ष्य है; अदालत द्वारा जिन परिस्थितियों के साथ-साथ संभावनाओं पर विचार किया जाता है, वे उस सामान्य अर्थ में साक्ष्य के बराबर हैं। इस प्रकार, यद्यपि धारा 30 के प्रावधानों के कारण स्वीकारोक्ति को उस सामान्य अर्थ में साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि यह अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित साक्ष्य नहीं है। इसलिए, परिणाम यह है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ मामले से निपटने में, न्यायालय किसी सह-अभियुक्त व्यक्ति के स्वीकारोक्ति के साथ शुरुआत नहीं कर सकता है; इसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के साथ शुरू करना चाहिए और उक्त साक्ष्य की गुणवत्ता और प्रभाव के संबंध में अपनी राय बनाने के बाद, यह अनुमत है -

आश्वासन प्राप्त करने के लिए स्वीकारोक्ति की ओर मुड़ें

17 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184 (पृष्ठ 1184 पर उद्धृत भाग)

अपराध का निष्कर्ष जिस पर न्यायिक मन पहुंचने वाला है

अन्य सबूत ने कहा।

इस प्रकार, एक सह-अभियुक्त व्यक्ति के स्वीकारोक्ति को ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे केवल तभी सेवा में लगाया जा सकता है जब न्यायालय अन्य साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो और महसूस करे कि

उक्त साक्ष्य से निकाले जा सकने वाले अपने निष्कर्षों के समर्थन में आश्वासन की आवश्यकता। आपराधिक मामलों में जहां एक अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत अन्य साक्ष्य पूरी तरह से

असंतोषजनक और अभियोजन पक्ष एक सह-अभियुक्त व्यक्ति के स्वीकारोक्ति पर भरोसा करना चाहता है, निर्दोषता का अनुमान जो आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार है, अभियुक्त व्यक्ति की सहायता करता है और न्यायालय को यह निर्णय देने के लिए मजबूर करता है कि आरोप उसके खिलाफ साबित नहीं हुआ है, और इसलिए, वह संदेह के लाभ का हकदार है।

50. इस आधार पर कार्यवाही करना कि यह एक सह-अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति है और अभी भी आगे बढ़ रहा है कि अभियुक्त पर एक संयुक्त मुकदमा चल रहा है और

कि उन पर एक ही अपराधों का आरोप है (इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि अन्य आरोपी फरार हैं और अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाती प्रतीत होती है)

अपने दम पर) और यह पाए जाने पर कि नकली नोटों के अपीलार्थी के आवास से कोई बरामदगी नहीं हुई है और ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं है जिसके आधार पर एक मजबूत संदेह भी पैदा किया जा सके, हम पाएंगे कि कानून के आदेश से हमें अपीलार्थी को मुक्त करने की आवश्यकता है।

खिलाफ कार्रवाई करने से। तदनुसार, हम Cr.PC की धारा 482 के तहत दायर अपील और याचिका को स्वीकार करते हैं। अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तैयार करने वाले सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाएगा और अपीलार्थी को आरोपमुक्त कर दिया जाएगा। देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।